न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–429/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00013)

1. सहीराम,
2. गोकूलराम पुत्रान रामलाल, जाति जाट, निवासी श्योनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरबाई पुत्री रामलाल,
2. राजकौर पुत्री रामलाल,
3. विधाधर पुत्र रामलाल,
4. धन्नीदेवी पुत्री रामलाल, जाति जाट, निवासी श्योनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
4. सरपंच ग्राम पंचायत नाटास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.08.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 16.10.2015 (प्रकरण संख्या 2/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि मूल खातेदार रामलाल के फौत होने पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.09.2001 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या 152 बाद जॉच स्वीकार किया गया, सन् 2001 के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत की जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने जवाब अपील में आपत्ति की लेकिन बावजूद आपत्ति के अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2015 को विधि विरूद्ध तौर पर अपील को स्वीकार किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी, जिस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो कोई धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र दिया, न कोई मियाद माफी की याचना ही की गई, जिस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 3 व 5 मियाद अधिनिमय, धारा 6 उत्तराधिकार अधिनियम, व नियमित वाद पर बिना विचार करके अपीलाधीन निर्णय देने में भारी भूल की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 जो कि अपने ससुराल रहती है व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनका भूमि विवादग्रस्त पर कभी कोई कब्जा नही रहा एवं अपील में भी अपना गत पता श्योनाथपुरा का दिया है जबकि वे श्योनाथपुरा की निवासी नही है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत तथाकथित शपथ पत्र झूथा था जिस पहलू पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार न कर अपीलाधीन निर्णय देने में भूल की जो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2015 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10..2015 खारिज फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 152 कायम रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम श्योनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी की आराजी खसरा नम्बर 258, 259, 263, 264, 265/185 कुल किता 5 कुल रकबा 7.16 हैक्टयर आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता रामलाल की खातेदार की भूमि थी तथा रामलाल का देहान्त वर्ष 2001 में हो गया, स्व. रामलाल के छः वारिस थे जिसका हल्का पटवारी ने वंशावली दर्शायी तथा गिरदावर बड़ागांव ने रिकार्ड में मिलान करने क बाद सही पाया गया, उक्त टिप्पणी के बाद उक्त आधार पर तत्कालीन सरपंच ने स्वीकार अपने हस्ताक्षर कर दिया थे इसके बाद तत्कालीन सरपंच अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के प्रभाव में आकर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम स्वीकार करने के बजाय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम ही स्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध होने होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई का पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 28.02.2014 को अपने हिस्से की भूमि में की गई काश्त का सम्भालने ग्राम श्यानाथपुरा गई तो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को धमकी दी कि स्व0 रामलाल क भूमि में आपका कोई हक व हिस्सा नही है, इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 03.03.2014 को नकल लेने पर सारी वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने रिश्तेदारों व परिवार वालों से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को समझाने का प्रयास किया कि वे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का हिस्सा तहसील उदयपुरवाटी चलकर दर्ज करवा दे लेकिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने ऐसा करने से साफ इन्कार किया इसलिये उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत सरपंच नाटास ने पहले तो दिनांक 20.09.2001 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया उसके बाद

P.T.O.

राजस्व अपील आयुक्त

उक्त स्वीकार नामान्तरकरण को पेन से काटकर केवल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम स्वीकार कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 152 वाके ग्राम श्योनाथपुरा की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामलाल के फौत होने पर खातेदारान के छः वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरकर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसकी जॉच सम्बन्धित गिरदावर हल्का द्वारा भी की जाकर इसकी पुष्टि की गई जिस नामान्तरकरण को सरपंच द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया तत्पश्चात् उसी दिनांक को तत्कालीन सरपंच द्वारा नामान्तरकरण में कांट–छांट कर खातेदार के केवल पुत्रों अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से उस नामान्तरकरण का उचित ठहराये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद नही थे। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीने होने के कारण निरस्त योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।